

प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत
(समिति का गठन) नियमावली 2008

प्रवेश और फीस नियमन समिति

उत्तर प्रदेश

प्राविधिक शिक्षा

संख्या- 181 / प्र0फी0नि0स0 / / 2010

लखनऊ: दिनांक 25 जून, 2010

आदेश

1. अनुपमा कालेज ऑफ इन्जीनियरिंग, आगरा द्वारा संस्था में चल रहे पाठ्यक्रमों में शुल्क निर्धारण कराये जाने हेतु समिति कार्यालय में प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के कम में उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/लेखा पुस्तकों का निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत परीक्षण किया गया और संस्था को शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में दिनांक 20.04.2010 को सुनवाई का अवसर दिया गया। संस्था द्वारा उठाये गये बिन्दुओं को समिति द्वारा सुना गया तथा सम्पूर्ण तथ्यों को संज्ञान में लेकर समिति निम्न निष्कर्ष पर पहुँची।

2 (i) समिति द्वारा कम्पनी एक्ट 1956 में दिये गये हास (डेप्रीसिएशन) दरों का अध्ययन करने पर यह पाया गया कि स्टेट लाइन पद्यति शैक्षिक संस्थाओं हेतु ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना दूरगामी अवधि के लिये होती है, जो छात्र-छात्राओं को लम्बे समय तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सके। संस्थाओं की स्थापना में प्रारम्भिक निवेश में अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है, क्योंकि संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर फ़ैकल्टी एवं अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाना होता है तथा आरम्भ में छात्र-छात्राओं की संख्या भी कम होती है। संस्था द्वारा सृजित की गयी फ़ैकल्टी एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि का पूर्ण लाभ एवं उपयोग दूरगामी वर्षों तक होता रहता है। इसलिए शुल्क निर्धारण के उद्देश्य से स्टेट लाइन पद्यति के अनुसार डेप्रीसिएशन ग्रेजुएटेड रूप में देना औचित्यपूर्ण है न कि डब्ल्यू0डी0वी0 पद्यति द्वारा, जहां प्रथम वर्ष में डेप्रीसिएशन की दरें अत्यधिक रहती हैं। अतः संस्था के शुल्क आंकलन में डेप्रीसिएशन को स्टेट लाइन पद्यति पर आधारित रखना समिति द्वारा उचित माना गया।

(ii) समिति द्वारा विज्ञापन मद में अधिकतम 10 लाख की धनराशि को शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया में लिया जाना उपयुक्त माना गया है, चूंकि विभिन्न निजी संस्थाओं के प्रस्ताव के परीक्षण उपरान्त यह पाया गया कि संस्थाओं द्वारा विज्ञापन मद में दर्शायी गयी धनराशि में काफी असमानता है (उदाहरण के लिये किसी एक संस्था जिसमें 1800 छात्र-छात्रायें अध्ययनरत है, विज्ञापन मद में व्यय भार रू0 9 लाख है एवं दूसरी संस्था जिसमें 240 छात्र-छात्रायें अध्ययनरत हैं विज्ञापन मद में 13 लाख का व्यय दिखाया गया है) इसलिए समिति द्वारा औसतन रू0 10 लाख की धनराशि को एकरूपता लाने के लिए रखा गया है। इस

(2)

मद में अत्यधिक धनराशि रखने से छात्रों पर अन्यथा व्ययभार बढ़ेगा। समिति यह भी मानती है कि जो विज्ञापन संस्था के प्रशासकीय कार्यों जैसे टेण्डर, शिक्षकों एवं स्टाफ की नियुक्ति आदि हेतु आवश्यक होते हैं उनका व्यय अतिरिक्त रूप से अनुमन्य रहेगा।

(iii) संस्था द्वारा सुनवाई के समय यह कहा गया कि वर्ष 2008-2009 के व्यय को आधार मानते हुए शुल्क निर्धारण हेतु की गयी गणना पर छठे वेतन आयोग द्वारा की गयी बढ़ोत्तरी को संज्ञान में लिया जाना चाहिए। समिति के विचार से छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के विषय में यह माना जा सकता है, वेतन वृद्धि का प्रभाव निजी संस्थाओं में शिक्षकों व कर्मियों पर भी पड़ेगा। समिति द्वारा वित्तीय अभिलेखों के परीक्षण के उपरान्त यह पाया गया कि शैक्षिक और गैर शैक्षिक स्टाफ पर व्ययभार संस्था द्वारा दर्शाये गये कुल व्ययभार का लगभग 25 से 30 प्रतिशत के मध्य होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रायः निजी संस्थानों में शैक्षिक स्टाफ का एक निर्धारित वेतनमान होता है, जबकि गैर शिक्षक कर्मचारी प्रायः फिक्स वेतन पर कार्य करते हैं, जिसमें उन पर छठे वेतन आयोग का प्रभाव सीमित होता है। संस्थाओं में वेतन मद में कुल 25 से 30 प्रतिशत व्ययभार बढ़ जायेगा जिसका कुल व्यय पर औसत 10 प्रतिशत की वृद्धि आयेगी। अतः शुल्क निर्धारण हेतु समिति द्वारा सत्र 2009-10 में आंकलित शुल्क पर 10 प्रतिशत की वृद्धि सम्मिलित की गयी है, जो औचित्यपूर्ण है।

(iv) संस्थान की ओर से सुनवाई के समय यह कहा गया कि भविष्य में विकास हेतु शुल्क निर्धारण में 10 प्रतिशत की दर से आंकलन किया जाना कम है, चूँकि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरन्तर विकास होने के कारण एवं नई तकनीक लागू होने के कारण प्रदेश में छात्र-छात्राओं को गुणवत्ता पूर्ण तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु संस्थाओं पर व्ययभार आता है। संस्थाओं की स्थापना ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार की जाती है तथा संस्थाओं द्वारा भविष्य के विकास को पूर्णरूप से एन्टीसिपेट कर दर्शाया जाना सम्भव नहीं हो पाता है। अतः समिति इस तथ्य से सहमत है कि आगामी योजनाओं के लिए एक निश्चित धनराशि अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए। समिति ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडमी आफ एजुकेशन बनाम स्टेट आफ कर्नाटक मामले में आब्जर्वेशन के अनुसार निजी संस्थाओं को विकास दर 6 प्रतिशत से 15 प्रतिशत के मध्य रखने के आधार पर संस्था के भविष्य विकास एवं सुधार हेतु 10 प्रतिशत की दर से धनराशि की व्यवस्था शुल्क ढाँचा में करना औचित्यपूर्ण माना है।



(3)

(v) समिति के समक्ष संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि मंहगाई के कारण भविष्य में व्ययभार में सम्भावित व्यय वृद्धि को भी संज्ञान में लिया जाना चाहिए, क्योंकि समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ढाँचा तीन वर्ष के लिए लागू होता है। समिति ने उनके इस तर्क के सम्बन्ध में विचारोपन्नात यह निश्चय किया कि भविष्य में बढ़ती मंहगाई के कारण होने वाले सम्भावित व्ययवृद्धि को विचार में रखते हुए शुल्क ढाँचा का निर्धारण किया जाना उपयुक्त होगा। अतः प्रचलित वास्तविक सी०पी०आई० (कन्जूमर प्राइस इन्डेक्स) के आधार पर 5 प्रतिशत के हिसाब से आगामी तीन वर्षों तक का औसत मूल्य निकालकर शुल्क निर्धारण हेतु संज्ञान में लिया गया है।

(vi) अनुपमा कालेज ऑफ इन्जीनियरिंग, आगरा के प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि व्ययभार की कुल धनराशि को अध्ययनरत वास्तविक छात्र-छात्राओं की संख्या से विभाजित करके प्रति छात्र व्यय की गणना की जानी चाहिए न कि ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित स्वीकृत छात्र-छात्राओं की संख्या से क्योंकि प्रतिनिधियों के कथनानुसार संस्था में अध्ययनरत छात्र-छात्रायें परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने के कारण नहीं आते हैं एवं आगामी वर्षों में छात्र-छात्राओं की संख्या कम हो जाती है। समिति के विचार से संस्थान में प्रत्येक पाठ्यक्रम में छात्रों की प्रवेश क्षमता ए०आई०सी०टी०ई० नार्म्स के आधार पर स्वीकृत होती है, जिससे संस्थान में शैक्षिक गुणवत्ता बनी रहे एवं छात्र अपने शिक्षणकाल में समुचित प्रशिक्षण प्राप्त कर डिग्री/प्रमाण-पत्र हासिल कर सकें। यदि संस्थान में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या अधिक होगी तो यह संस्थान के शैक्षिक स्तर पर प्रश्न चिन्ह है। अनुत्तीर्ण छात्रों के कारण संस्थान में छात्रों की संख्या में हुई कमी के आधार पर शुल्क निर्धारण की गणना किया जाना उचित नहीं है, अतः समिति द्वारा संस्थान में स्वीकृत प्रवेश क्षमता के आधार पर ही शुल्क निर्धारण किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

3. अनुपमा कालेज ऑफ इन्जीनियरिंग, आगरा, के डा० बी०के० गुप्ता ने बताया कि बी०टेक० पाठ्यक्रम में रू० 46,620.00 एवं में बी०फार्मा पाठ्यक्रम में रू० 53,000.00 शुल्क लिया जा रहा है।

4. शुल्क निर्धारण हेतु समिति द्वारा संस्थाओं के वर्ष 2008-2009 की प्रमाणित बैलेन्स सीट को आधार मानकर वर्ष 2008-2009 के लिए व्यय धनराशि का आंकलन किया गया इस प्रकार से प्राप्त धनराशि पर वर्ष 2009-2010 के लिए 5 प्रतिशत सी०पी०आई० (कन्जूमर प्राइस इन्डेक्स) की बढ़ोत्तरी रेट आफ इन्फ्लेशन को आधार मानकर शुल्क की गणना की गयी, प्राप्त धनराशि में वर्ष 2010-2011 से लागू छठे वेतन आयोग की बढ़ोत्तरी को संज्ञान में लेते हुए 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी है तथा वर्ष 2011-2012 के लिए सी०पी०आई० इन्डेक्स के आधार पर 5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करते हुए प्राप्त धनराशि में वर्ष 2012-2013 के लिए पुनः सी०पी०आई० इन्डेक्स के आधार पर 5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी इस



(4)

प्रकार वर्ष 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 में की गयी बढ़ोत्तरी क्रमशः 10 प्रतिशत, 5 प्रतिशत एवं पुनः 5 प्रतिशत का औसत मूल्य निकालकर तथा इस प्रकार से प्राप्त आंकलित धनराशि पर विकास मद में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करते हुए अन्तिम शुल्क निर्धारित किया गया है।

समिति द्वारा उपर्युक्त वस्तुस्थिति पर समग्र रूप से विचारोपरान्त उक्त संस्थान में चल रहे बी0टेक0 पाठ्यक्रम हेतु सत्र 2010-2011 के लिए निम्नवत् शुल्क निर्धारित किया जाता है:-

क्र०स०	संस्था का नाम	जिला	पाठ्यक्रम	निर्धारित किया गया शुल्क प्रतिवर्ष
1	2	3	4	5
1.	अनुपमा कालेज ऑफ इन्जीनियरिंग,	आगरा	बी0टेक0	रु० 79,400.00


संस्था के शुल्क निर्धारण सम्बन्धित गणना पत्र (पृ०सं० 01 से 08) संलग्न है। निजी संस्थानों द्वारा वर्ष 2008-2009 के आडिटेड बैलेन्स सीट के आधार पर आय-व्यय का सम्पूर्ण विवरण प्रेषित किया गया है। इसके पश्चात् वर्ष 2009-2010 की अवधि में समिति द्वारा संस्थानों से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया, तत्पश्चात् निजी संस्थाओं को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए शुल्क निर्धारण प्रक्रिया पूर्ण करायी गयी।


5. शुल्क निर्धारण का कार्य एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें काफी समय लगना निहित है। उल्लेखनीय है कि सत्र 2009-2010 पूर्ण होने में कम समय शेष है इसलिए समिति के विचार से सत्र 2009-2010 में लागू शुल्क में आकस्मिक परिवर्तन किया जाना विद्यार्थियों व शैक्षिक संस्थानों के लिए यथोचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए समिति द्वारा निर्धारित उक्त शुल्क शैक्षिक सत्र 2010-2011 से निर्धारित किया गया है। समिति द्वारा तदनुसार निर्धारित शुल्क की सूचना समिति की अधिकृत वेब-साइट www.afrcup.in पर प्रदर्शित की जायेगी तथा संस्था द्वारा भी इस आदेश की प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित शुल्क की सूचना अपनी अधिकृत वेब-साइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।


6. उपरोक्त निर्धारित शुल्क शैक्षिक सत्र 2010-11 से आगामी दो वर्षों (कुल तीन वर्ष) के लिए लागू होगा। निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित है।

(5)

7. उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 की धारा 4 के अन्तर्गत गठित समिति के किसी आदेश के विरुद्ध अपील के निस्तारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 11 (1) के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में अपील प्राधिकरण का गठन आदेश संख्या-3393/सोलह-1-2009-5 (डब्लू-48)/2003 दिनांक 14.10.2009 द्वारा किया जा चुका है।


(यू० एस० तोमर)
सदस्य
कुलसचिव,
उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय,


(अरविन्द नारायण मिश्र)
सदस्य
विशेष सचिव, वित्त
उत्तर प्रदेश शासन



(वृन्दा सरूप)
अध्यक्ष
प्रमुख सचिव,
व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक/प्राचार्य, अनुपमा कालेज ऑफ इन्जीनियरिंग, आगरा।
2. कुल सचिव, उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. अनुसचिव, व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण/पिछडा वर्ग /अल्पसंख्यक विभाग।
5. सम्बन्धित जिला अधिकारी।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से


(डा० वी०एस० सिंह)
सचिव

1

Sl. No.	Year of Establishment of Institution	Name of the Institution	City	Courses	Cost calculated based on Financial Data submitted by Institution for 2008-09	5% addition in cost for 2009-10 for inflation	Cost for 2009-10 (Col 6+7)	Cost after 10% Increase for Sixth Pay Commission in 2010-11 on Col. 8	Cost after 5% Escalation for 2011-12 on Col. 9	Cost after 5% Escalation for 2012-13 on Col. 10	Average Cost for one year = $\text{sum}(9+10+11)/3$	Development Allowance @ 10% on Col No. 12	Approved Fee for 2010-11 (Rounded off)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2008	Anupma College of Engineering	Agra	B.Tech.	59437	2972	62409	68650	72082	75686	72139	7214	79400

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



2

ANUPAMA COLLEGE OF ENGINEERING, AGRA
RECURRING EXPEDITURE IN CONSOLIDATED FORM AS ON 31.03.2009

S.No.	Particulars	Expenses As shown by the Institute as per Certified Balance sheet 2008-09	Amount that should be allowed in our opinion	Annexure No	Basis of apportionment	BTECH
	Sanctioned Student Strength (No.)					240
						Rs. In Lacs
1)	Salary Expenses:					
	Teaching	39.35	39.35			39.35
	Non Teaching	65.68	65.68	1		21.67
	Sub Total (1)	105.03	105.03			61.02
2)	Direct Recurring Expenses on Course:					
	Computer Software	0.00	0.00			0.00
	Lab Consumables	2.85	2.85			1.43
	Purchases of Books	15.54	0.00	2		0.00
	Purchases of Journals	0.68	0.68			0.34
	Sub Total (2)	19.07	3.53			1.77
3)	3. Manpower Cost: College Administration					
	Management Office (with Names)					
	Registrar Office					
	Administration Office					
	Library Staff					
	Finance & Accounts					
	Examination Office Expenses					
	Public Relation & Marketing Office					
	Computer & Networking Office					
	Sub Total (3)	0	0			0
4)	4. Common Operative Exp.College Admin.					
	Advertisement	6.88	6.88			3.44
	Annual Maintenance of Building	8.73	8.73			4.37
	Annual Maintenance of Computers	2.54	2.54			1.27
	Maintenance of Furniture	2.95	2.95			1.48
	Annual Maintenance of Others Assets	3.35	3.35			1.68
	Bank Charges	0.45	0.45			0.23
	Clearing Charges	0.00	0.00			0.00
	Conference & Seminar Expenses	0.00	0.00			0.00
	Electricity	1.83	1.83			0.92
	Examination Exp.	0.10	0.10			0.05
	Fees & Subscription	2.43	2.43			1.22
	General Expenses	0.00	0.00			0.00
	Inspection Fee	0.25	0.25			0.13
	Insurance Expenses	7.53	7.53			3.77
	Internet	10.34	10.34			5.17
	Legal & Professional Charges.	4.82	4.82			2.41
	Maintenance / Running Exp of Generator	5.99	5.99			3.00
	Mess Charges	0.00	0.00			0.00
	Newspaper, Books & Periodicals	0.00	0.00			0.00

Included in Non Teaching Staff Salary



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3

S.No.	Particulars	Expenses As shown by the Institute as per Certified Balance sheet 2008-09	Amount that should be allowed in our opinion	Annexure No	Basis of apportionment	BTECH
	Office Expenses	7.32	7.32			3.66
	Postage & stamps	0.83	0.83			0.42
	Printing & Stationery	5.64	5.64			2.82
	Processing Fee	0.00	0.00			0.00
	Security Charges	8.57	8.57			4.29
	Staff Welfare	0.00	0.00			0.00
	Student Welfare	1.32	1.32			0.66
	Subscription & Membership Fee	0.00	0.00			0.00
	Telephone	2.83	2.83			1.42
	Training & Placement Expenses	0.00	0.00			0.00
	Travelling charges	5.41	5.41			2.71
	Bus Hire Charges	0.00	0.00			0.00
	Hostel Maintenance	3.23	3.23			1.62
	Medical expenses	0.00	0.00			0.00
	Faculty Development	4.67	4.67			2.34
	Library Expenses	0.00	0.00			0.00
	Rates & Taxes	0.00	0.00			0.00
	Sports	3.63	3.63			1.82
	Admission Expenses	0.00	0.00			0.00
	Maintenance/ Running of Vehicles	0.00	0.00			0.00
	Conveyance Exps.	4.02	4.02			2.01
	Sub Total (4)	105.66	105.66			52.83
5)	5. Interest:					
	Interest paid on finance	0.00	0.00			0.00
	Sub Total (5)	0.00	0.00			0.00
6)	6. Depreciation on Assets:					
	Building	0.00	28.87			14.44
	Furniture	2.43	2.31			1.16
	Computers	21.27	5.75			2.88
	Books	15.54	6.22			3.11
	Lab Equipments	9.83	10.61			5.31
	Other equipments / Assets	0.94	0.30			0.15
	Vehicles	0.00	0.00			0.00
	Sub Total (6)	50.01	54.06			27.03
	GRAND TOTAL OF EXPENSES	279.77	268.28			142.65

Cost per Student (Rs.)

0.59437



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4

ANUPAMA COLLEGE OF ENGINEERING, AGRA

AS PER COMPANIES ACT (STRAIGHT LINE METHOD)

FIXED ASSETS DETAILS

(Rs. In Lacs)

ASSETS	GROSS BLOCK AS ON 01.04.2008	ADDITION DURING THE YEAR 2008-09 AS SHOWN IN CERTIFIED STATEMENT	ADDITION DURING THE YEAR 2008-09 IN OUR OPINION	VALUE OF ASSETS FOR CALCULATION OF DEPRECIATION	RATE	DEPRECIATION FOR THE YEAR 2008-09
Land	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
College Building	0.00	864.46	864.46	864.46	3.34%	28.87
Furniture & Fixtures	0.00	24.35	24.35	24.35	9.50%	2.31
Computer & Software	0.00	35.46	35.46	35.46	16.21%	5.75
Books & Periodicals	0.00	15.55	15.55	15.55	40.00%	6.22
Lab Equipments	0.00	65.47	65.47	65.47	16.21%	10.61
Others Equipemnts	0.00	6.26	6.26	6.26	4.75%	0.30
Vehicle	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50%	0.00
Total	0.00	1011.55	1011.55	1011.55		54.06









(S)

**ANUPAMA COLLEGE OF ENGINEERING, AGRA
REASONS FOR DISALLOWANCE OF EXPENSES**

The Proposal for fee Fixation has been scrutinized and it was observed that the Institution has broadly shown Expenditure in the ratio of Total Expenses under certain heads: Salary (Teaching & Non Teaching) : 46%, Administrative Expenses: 54% , Interest on Loan: 0% & Depreciation on Assets: 10%. The institution has not completed its full course cycle ,hence some of the infrastructure created will be utilized by students in the comming year. Therefore, to arrive at reasonable cost on educational part for the student for the year under consideration , some adjusment / deductions have been made in the expenditure claimed as under:

(Rs. In Lacs					
S.No.	Nature of the Expenditure	Amount Claimed by the Institute	Amount Allowed by Us	Net Amount Disallowed	Reasons for Disallowance
1	Salary to Non-Teaching Staff	65.68	21.67	44.01	2/3 of the expenses disallowde being excessive in first year of institution.
2	Purchases of Books	15.54	0.00	15.54	Capitalized & Depreciated accordingly.

50% of all other Expenses including Depreciation has been disallowed , looks excessive considering the student strength in First Year.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]